हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कोई वादकरण पैदा होना नहीं माना जा सकता है। एवं वादकरण के अभाव मे वाद चलने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन उपरान्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। एवं वाद वादी खारिज किया जाता है। चूंकि प्रार्थनापत्र 07R11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जा चुका है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 CPC का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त प्रार्थनापत्र को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम एवं दाखिल दफ्तर हो। [illegible]/7/19 (हेताराम चौहान) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाघड़ी उप जिला मजिस्ट्रेट	